

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प07(2)राज/वाद/2022

जयपुर, दिनांक 24-02-2022

:: आदेश ::

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना 5 (51) कार्मिक/क-2/88, दिनांक 31.12.96 के तहत श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र सिरोही, जन्म तिथि 01.01.1992 व शैक्षणिक योग्यता-पांचवीं उत्तीर्ण, जाति-जाट, निवासी-सिरोहियों का बास, ग्राम-रियां, तहसील व पुलिस थाना-पीपाड़ शहर, जिला-जोधपुर को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय अपर लोक अभियोजक, जोधपुर जिला में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

उक्त नियुक्ति वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी तथा उक्त पद पर की गई नियुक्ति उक्त शर्तों के साथ-साथ निम्न शर्तों के अध्याधीन भी होगी:-

1. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसूची-4 के नियम 16 के संबंधित लेवल L-1 के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) रू. 12400/- प्रतिमाह की दर से देय होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी.(सिविल) 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
2. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 द्वारा, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची-प्रथम, पार्ट-बी के नियम नियम-5(vi) और (vii) के पे-मेट्रिक्स के अनुसार लेवल L-1 के सेल नं0-1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3. राज्य सरकार के परिपत्र पं.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इनके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।


  
24/2/22

4. परिवीक्षा काल में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
5. परिवीक्षाकाल में वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति, एवं विशेष वेतन) देय नहीं होंगे।
6. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 द्वारा नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
7. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
8. दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं, तो राज्य सरकार/इस विभाग द्वारा इनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
10. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

<sup>sd</sup>  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
2. जिला कलक्टर, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती कलावती पत्नी स्व० श्री, महेन्द्र सिरोही को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण करवाकर संबंधित अपर लोक अभियोजक जोधपुर, जिला-जोधपुर के कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर इस विभाग को अवगत करावें।
3. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर को उनके पत्र दिनांक 20.12.2021 के क्रम में।
4. अपर लोक अभियोजक, जोधपुर जिला।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
7. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
8. प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. श्रीमती कलावती पत्नी स्व० श्री महेन्द्र सिरोही, निवासी-सिरोहियों का बास, ग्राम-रियां, तहसील व पुलिस थाना- पीपाड़ शहर, जिला-जोधपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि